



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur – 302018

Website : www.rsmssb.rajasthan.gov.in

Tel. : 0141-2722520

क्रमांक: प.8(140)RSSB/प.आ./चतुर्थ श्रेणी सी.भ.परीक्षा/2024/

दिनांक :

विज्ञप्ति

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के विज्ञापन संख्या 19/2024 क्रमांक राजकाज 12403987 दिनांक: 12.12.2024 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे।

उक्त परीक्षा का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रमानुसार किया जावेगा:-

क्र. स.	परीक्षा का नाम	परीक्षा दिनांक	पारी	परीक्षा समय
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024	19.09.2025 (शुक्रवार)	I (Morning Shift)	प्रातः 10.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक
			II (Evening Shift)	अपरान्ह 03.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक
		20.09.2025 (शनिवार)	III (Morning Shift)	प्रातः 10.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक
			IV (Evening Shift)	अपरान्ह 03.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक
		21.09.2025 (रविवार)	V (Morning Shift)	प्रातः 10.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक
			VI (Evening Shift)	अपरान्ह 03.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक

अतः उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि:-

- आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
- अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो यदि 03 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करा लिया जाना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा आयोजन के समय परीक्षा प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र में फोटो से हो सके तथा आपको प्रवेश के समय कोई कठिनाई न हो। आपके मूल पहचान पत्र की फोटो का आपके चेहरे, प्रवेश पत्र की फोटो से मिलान होना आवश्यक है अन्यथा आपको परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे पाँच विकल्प/गोले दिए जायेंगे। पहले चार विकल्प/गोला A,B,C और D उपयुक्त उत्तर से संबंधित तथा पाँचवा विकल्प/गोला 'E' 'अनुत्तरित प्रश्न' से संबंधित होगा।
- अभ्यर्थी को ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर, संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु A,B,C या D अर्थात् पहले चार में से केवल एक विकल्प/गोला नीले बॉल पॉइन्ट पेन से गहरा कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो पाँचवा विकल्प/गोला 'E' को गहरा करना होगा।
- यदि पांचों विकल्पों में से कोई भी विकल्प/गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जावेगा।
- 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प/गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

Signature Not Verified



Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.08.23 09:03:33 IST
Reason: Approved

7. प्रत्येक प्रश्न के लिए कोई एक विकल्प/गोला भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
8. उक्त परीक्षाओं के लिए 'प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र' बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करने की दिनांक यथासमय सूचित कर दी जावेगी। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
9. परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।
10. ड्रेस कोड के बारे में समय-समय पर निर्देश अपडेट किए जाते हैं जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। प्रवेश-पत्र में तथा प्रवेश-पत्र के जारी करने के कार्यक्रम की विज्ञप्ति में ड्रेस कोड आदिनांक तक किया जाता है। अतः उसके अनुसार ड्रेस कोड की पालना आवश्यक रूप से की जावे ताकि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश हेतु कोई समस्या उत्पन्न ना हो।

चेतावनी : — परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे/बहकावे में नहीं आवें तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न Social Media पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विचार न करें। परीक्षा संचालन में किसी प्रकार से अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों (अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत यथा परिभाषित) में संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरुद्ध, राज0 सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम 2022 एवं (संशोधन) अधिनियम, 2023 (संख्याक 17) के अनुसार 10 लाख से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक दंड तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी को आगे परीक्षा देने से विवर्जित (Debar) भी किया जावेगा।

(डॉ० बी. सी. बधाल)

सचिव

क्रमांक: प.8(140)RSSB/प.आ./चतुर्थ श्रेणी सी.भ.परीक्षा/2024/
प्रतिलिपि:-

दिनांक:

1. निजी सचिव (अध्यक्ष महो./सदस्यगण महोदय/सचिव महो.)/लेखा अनुभाग, R.S.S.B ।
2. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर", "राजस्थान पत्रिका" एवं दैनिक नवज्योति" के राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में शीघ्र प्रकाशित करवायें एवं बिल भुगतान हेतु बोर्ड कार्यालय को प्रेषित कर दें।
3. जिला कलक्टर, (संबंधित), को उक्त विज्ञप्ति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. अतिरिक्त जिला कलक्टर (परीक्षा समन्वयक) (संबंधित), को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. अनुभाग R.S.S.B. को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को बोर्ड की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करावें।

सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhag Chand
Badhal
Designation : Secretary
Date: 2025.08.23 09:03:33 IST
Reason: Approved